न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 89/2017 (उदयपुर डिक्री)

1. श्री प्रथा उर्फ परथा पिता गुंजा जी मीणा निवासी चांदणी सूरपलाया तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)
2. श्रीमती वरजु पत्नी श्री प्रथा उर्फ परथा जी मीणा निवासी चांदणी, सुरपलाया तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)

..... अपीलान्ट्स

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)
2. राज्य सरकार जरिये जिला कलक्टर उदयपुर (राज0)

..... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी गिर्वा दिनांक 03–06–2017 प्रकरण संख्या 37/2017 राजस्व वाद

———

उपस्थित :–1– श्री कुलदीप चौबीसा अभिभाषक अपीलान्ट

2– श्री पंकज भटनागर अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट्स

————/————

निर्णय **दिनांक 19–04–2018**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी अपीलान्ट द्वारा वाद संख्या 160/2014 पेश कर ग्राम सूरपलाया की साबिक आराजी नंबर 1 हाल आराजी नंबर 58 व 58/1 रकबा 1.85 हैक्टर पर उसका वर्ष 1981 से नाजायज कब्जा होने से दिनांक 2–8–2003 को आवंटन सलाहकार समिति ने उसे उक्त भूमि आंवटन किये जाने की सहमति व स्वीकृति देकर क्रम संख्या 75 पर उसे आराजी नंबर 58 रकबा 1 हैक्टर भूमि आवंटित की गई। उक्त भूमि की खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा के लिए वादी अपीलान्ट द्वारा वाद दायर किया गया, जिसे

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11–6–2016 को उभयपक्ष की अनुपस्थिति में दिनांक 11–6–2016 को खारिज कर दिया। जिससे रूष्ट होकर वादी अपीलान्ट इस न्यायालय में अपील संख्या 114/2016 पेश की गई। इस न्यायालय द्वारा उक्त अपील में अपने निर्णय दिनांक 20–2–2017 से निम्नानुसार प्रतिप्रेषण आदेश जारी करते हुए अधिनस्थ न्यायाल के निर्णय दिनांक 11–6–2016 को अपास्त किया :–

"प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय को कैम्प पर पक्षकारों के राजीनामा होने की स्थिति में अथवा सुनकर प्रकरण में तनकीवार निर्णय पारित किया जाना आदेश–20, नियम–5 जाब्ता दीवानी के तहत आज्ञापक था। प्रकरण मं शहादत प्रतिवादी भी नहीं हुई है तथा वादी का वाद भूमि आवंटन से संबंधित था, जिसे समझे बिना अधिनिस्थ न्यायालय ने सरसरी रूप से राजकीय भूमि पर अतिक्रमण तथा कब्जा मुखालफाना सम्भव नहीं होना मानकर वाद खारिज कर दिया है। जो प्लीडिंग्स, तनकीयात व तथ्यों से परे की बात है। अधिनस्थ न्यायालय को विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए वाद को समझ कर निर्णय पारित करना चाहिए था। अधिनस्थ न्यायालय द्वार अत्यन्त जल्दबाजी में वाद हेतुक को समझे बिना उनसे परे जाकर त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित किया है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 11–6–2016 अपास्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को विधिक प्रक्रिया का पालन करने हेतु पक्षकारान को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाता है"।

इस न्यायालय के अपील संख्या 114/2016 में प्रतिपेषण आदेशों की पालना में अधिनस्थ न्यायालय में प्रकरण संख्या 37/2017 दिनांक 10–3–2017 को दर्ज किया गया तथा प्रकरण में दिनांक 14–6–2017 की पेशी दी गई, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय में प्रकरण दिनांक 3–6–2017 को लोक अदालत में प्रस्तुत होकर अधिनस्थ न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय पारित कर दिया :–

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाऍ जारी की गई।
	<u>3–6–17</u> **''पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान 2017 कैम्प कोर्ट काया में प्रस्तुत हुई। वादी संख्या–1 उपस्थित। प्रकरण का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी से इस आश्य के साथ रिमाण्ड होकर प्राप्त हुई की वादी का वाद भूमि आवंटन से संबंधित था, जिससे पक्षकारान को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर निर्णीय पारित किया जावे।** **पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। वादी ने 2003 में आवंटन कमेटी की बैठक में आवंटन हेतु आवेदन किया गया परन्तु वादी को ना तो आवंटन आदेश जारी हुआ ना ही कब्जा सिपुर्दगी की कार्यवाही हुई। वादी स्वयं ने भी उपस्थित होकर बताया कि वादग्रस्त भूमि का उनको आवंटन नहीं हुआ ना ही कभी उसके खाते दर्ज रही है।** **हल्का पटवारी द्वारा रिकार्ड देखकर बताया कि वादग्रस्त भूमि वर्तमान में नगर विकास प्रन्यास उदयपुर के नाम दज है।** **वादग्रस्त भूमि न तो कभी वादी को आवंटित हुई ना ही वादी के नाम दर्ज रही है, ऐसी स्थिति में वादी खातेदारी घोषणा करा पाने का अधिकारी नहीं है।** **जहां तक कब्जे का प्रश्न है तो माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर की वृहत पीठ ने R R T 2011 (2) पेज 70 भी कब्जा मुखालफाने (एडवर्स पजेशन) के आधार पर प्रस्तुत किये गये खातेदारी घोषणा के दावों को विधि विरूद्ध घोषित किया जा चुका है।** **अतः वादीगण का वाद साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है''।** ह0/– उपखण्ड अधिकारी गिर्वा जिला उदयपुर	

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय से रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 12–7–2017 को पेश की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की और से राजकीय अधिवक्त श्री पंकज भटनागर ने उपस्थिति दी।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मेमों में लिखित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटिपूर्ण होना बताते हुए खारिज करने की प्रार्थना की। वहीं अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट्स द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट के प्रमुख अपील उजर यह है कि आवंटन सलाहकार समिति के आदेश की प्रतिलिपि अधिनस्थ न्यायाल में उपलब्ध थी तथा गवाहों के बयानात से भी पुष्टि होती थी, अपीलान्ट का दावा सिर्फ कब्जे के आधार पर नहीं था। प्रकरण में तनकीवार निर्णय न्यायिक बहस सुनकर नहीं किया गया।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस न्यायालय के प्रतिप्रेषण आदेशों के क्रम में आदेशों की पालना नही की गई है तथा प्रकरण में आवंटन के तथ्यों को नहीं मानने का कोई विवेचन नहीं किया है, साथ ही प्रकरण में दावा सिर्फ कब्जा मुखालफाना के आधार पर नहीं है तथा प्रकरण में लोक अदालत के स्थान पर विधिक सलाहकार की बहस सुनकर तनकीवार निर्णय किया जाना वांछनीय था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नगर विकास न्यास के नाम यदि उक्त भूमि दर्ज हो गई है, तो उसे भी पक्षकार संस्थित कर निर्णय किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 03–06–2017 अपास्त किया जाकर

प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ **प्रतिप्रेषित** किया जाता है कि हमारे उपरोक्त प्रतिप्रेषण निर्देशों की पालना करते हुए उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देकर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 21–6–2018 को उपस्थित होवें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 19–04–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर